

एल्कैमिस्ट लिमिटेड व अन्य

बनाम

स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम व अन्य

16 मार्च, 2007

(सी.के. ठक्कर व लोकेश्वर सिंह पंत, जे.जे.)

सी.के. ठक्कर, जे.

1. अनुमति स्वीकृत।

2. वर्तमान अपील में इस न्यायालय के समक्ष एक साधारण मुद्दा यह है कि क्या वाद हेतुक का एक भाग पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न हुआ था, जिस कारण अपीलार्थी कंपनी द्वारा उत्तरदाताओं के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका पर विचार किया जाये।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी एक कंपनी है जिसका पंजीकृत व कारपोरेट कार्यालय चंडीगढ़ में है। उत्तरदाता संख्या 1 स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम है तथा उत्तरदाता संख्या 2 सिक्किम राज्य है। उत्तरदाता संख्या 2 सिक्किम राज्य, उत्तरदाता संख्या 1 स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम में अपनी इक्विटी पूंजी का 49 प्रतिशत एक रणनीतिक भागीदार को प्रबंधन के हस्तान्तरण के साथ विनिवेश करना चाहता था। इस उद्देश्य के लिए, उत्तरदाता संख्या 2 ने दिनांक 21 जनवरी 2004 को "इकोनामिक टाइम्स" में विज्ञापन जारी किया और रणनीतिक भागीदारी के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये। इच्छुक पक्षकारों, वित्तीय संस्थानों और प्रबंधन विशेषज्ञता

वाली कंपनियों को विस्तृत बायोडाटा प्रोफाइल के साथ स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के गंगटोक स्थित प्रधान कार्यालय में 7 फरवरी, 2004 तक या उसके पूर्व आवेदन करने के लिए कहा गया था। विज्ञापन में यह निर्धारित किया गया था कि पक्षकारों द्वारा किये गये प्रस्ताव प्रथम उत्तरदाता बैंक के निदेशक मण्डल की जांच के अधीन होंगे। यह भी स्पष्ट किया गया था कि बिना कोई कारण बताये प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक मण्डल के पास सुरक्षित था।

4. अपीलार्थी कंपनी ने 3 फरवरी, 2004 को अपने प्रस्ताव के माध्यम से रणनीतिक व्यापार भागीदारी के लिए अपना आैपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विभिन्न संस्थाओं से कई प्रस्ताव प्राप्त हुए और निदेशक मण्डल ने 143 वीं बैठक में दो संस्थाओं को सूचीबद्ध किया, यथा अपीलार्थी कंपनी और कलकत्ता स्थित एक अन्य कंपनी। अपीलार्थी कंपनी और उत्तरदाता संख्या 1 बैंक के बीच बातचीत हुई। उत्तरदाता संख्या 1 बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आगे की बातचीत के लिए चण्डीगढ़ गये। उत्तरदाता संख्या 1 बैंक ने अपीलार्थी को अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए तथा उत्तरदाता संख्या 1 बैंक के पुनरुद्धार के लिए एक सावधि जमा राशि 4.50 करोड़ रुपये भारतीय स्टेट बैंक में जमा कराने के लिए कहा। अपीलार्थी द्वारा 16 मार्च, 2005 को भारतीय स्टेट बैंक, चण्डीगढ़ में उक्त राशि जमा कराई गई और रसीद की फोटो प्रति चण्डीगढ़ में उत्तरदाता संख्या 1 बैंक के अधिकारियों को सौंप दी गई। 20 फरवरी, 2004 को उत्तरदाता संख्या 1 बैंक ने अपीलार्थी कंपनी को पत्र के माध्यम से सूचित

किया कि उनका प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूप से सिक्किम सरकार के विचार और अनुमोदन के अधीन स्वीकार कर लिया गया है। 23 फरवरी, 2006 को अपीलार्थी कंपनी को चण्डीगढ़ में एक संसूचना मिली जिसके द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 बैंक ने अपीलार्थी कंपनी को सूचित किया कि सिक्किम सरकार ने अपीलार्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया है और 20 फरवरी, 2004 द्वारा दी गई संसूचना को वापस लेने की मांग की है। इसलिए अपीलार्थी कंपनी ने 23 फरवरी, 2006 के पत्र-सह-आदेश को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।

5. उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनके पास रिट याचिका पर विचार करने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ था। उच्च न्यायालय ने मामले के गुणावगुण पर विचार नहीं किया और अपीलार्थी कंपनी को उचित न्यायालय के समक्ष उचित अनुतोष की मांग हेतु स्वतंत्रता दी गई।

6. उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को अपीलार्थी ने इस अपील में चुनौती दी है। हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

7. अपीलार्थी कंपनी ने तर्क दिया है कि वाद हेतुक का एक अंश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न हुआ है। अपीलार्थी कंपनी ने निम्न तथ्यों के आधार पर इस प्रकार के कथन किये -

- (I). अपीलार्थी कंपनी का पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय चण्डीगढ़ में है,
- (II). अपीलार्थी कंपनी चण्डीगढ़ में अपना कारोबार करती है,
- (III). अपीलार्थी कंपनी का प्रस्ताव 20 फरवरी, 2004 को स्वीकार किया गया था और स्वीकृति की संसूचना चण्डीगढ़ में दी गई थी,
- (IV). अनुबंध की आंशिक पालना चण्डीगढ़ में हुई थी जहां अपीलार्थी कंपनी ने उत्तरदाता संख्या 1 के अनुरोध अनुसार सावधि जमा में 4.50 करोड़ रुपये जमा कराये थे,
- (V). उत्तरदाता संख्या 1 के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने अपीलार्थी कंपनी की प्रमाणिकता का पता लगाने के लिए चण्डीगढ़ का दौरा किया था,
- (VI). पक्षकारों के मध्य मार्च, 2005 के तीसरे सप्ताह में चण्डीगढ़ में वार्ता हुई थी,
- (VII). निरस्तीकरण का पत्र 23 फरवरी, 2006 अपीलार्थी कंपनी को चण्डीगढ़ में प्राप्त हुआ था। निरस्तीकरण के परिणाम चण्डीगढ़ में उत्पन्न हुए जिससे अपीलार्थी कंपनी व्यथित है।

इसलिये यह निवेदन किया गया कि वाद हेतुक का कम से कम एक अंश निश्चित रूप से पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ था इसलिये याचिका पर विचार करना उनके अधिकार क्षेत्र में था। इसलिये यह निवेदन किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है और न्यायालय को रिट याचिका गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाये।

8. दूसरी और, उत्तरदाताओं ने निवेदन किया कि उपरोक्त तथ्यों या परिस्थितियों में से किसी को भी पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अंशतः वाद हेतुक उत्पन्न होने के रूप में नहीं माना जा सकता है। उत्तरदाताओं के अनुसार वाद हेतुक का गठन करने वाले सभी महत्वपूर्ण भौतिक और अभिन्न तथ्य सिक्किम राज्य क्षेत्र के भीतर थे इसलिये पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में पूर्णतः न्यायसंगत था कि पक्षकारों के बीच संबंधों पर विचार करने, उनसे निपटने और निर्णय लेने के लिए उनके पास कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था।

इस संबंध में उत्तरदाताओं ने निम्न तथ्यों का आधार लिया -

- (I). उत्तरदाता संख्या 1 बैंक का पंजीकृत और कार्पोरेट कार्यालय गंगटोक यानि सिक्किम में है,
- (II). उत्तरदाता संख्या 2 का सचिवालय गंगटोक यानि सिक्किम में है,
- (III). विभिन्न पक्षकारों से प्रस्ताव गंगटोक में मांगे गये थे,
- (IV). सभी प्रस्तावों की जांच तथा अपीलार्थी कंपनी के प्रस्ताव को उत्तरदाता संख्या 1 बैंक द्वारा स्वीकार करने का निर्णय गंगटोक में लिया गया था,
- (V). अपीलार्थी के प्रस्ताव को मंजूरी न देने का राज्य सरकार का निर्णय गंगटोक में लिया गया था,

(VI). उत्तरदाता संख्या 1 बैंक के निदेशक मण्डल की बैठक गंगटोक में बुलाई गई और 20 फरवरी, 2004 के पत्र को वापस लेने का प्रस्ताव गंगटोक में पारित किया गया,

(VII). अपीलार्थी कंपनी को उत्तरदाता संख्या 1 बैंक द्वारा 23 फरवरी, 2004 संसूचना गंगटोक से भेजी गई।

इसलिये उत्तरदाताओं ने निवेदन किया कि उच्च न्यायालय क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव में याचिका को खारिज करने में पूर्णतः सही था और आदेश में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. वर्तमान अपील के विवाद पर विचार करने के पूर्व विधिक स्थिति की जांच की जानी चाहिए।

मूल रूप से अधिनियमित संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार व उनकी क्षेत्रीय सीमाओं के संबंध में दोहरी सीमायें थीं। प्रथमतः, उच्च न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग "उन सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है जिसके संबंध में वह अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है, "अर्थात् न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन क्षेत्रों के परे लागू नहीं हो सकती हैं। द्वितीयतः, जिस व्यक्ति या प्राधिकारी पर उच्च न्यायालय को ऐसी रिट जारी करने का अधिकार है, वह "उन क्षेत्रों के भीतर" होना चाहिए, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि जो उन क्षेत्रों के भीतर निवास या स्थान द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी हों।

10. चुनाव आयोग, भारत बनाम साका वेंकट राव, [1953] ए.आई.आर. 1144, ए.आई.आर. (1953) ए.आई.आर. 210, याचिकाकर्ता ने

चुनाव आयोग [राष्ट्रपति द्वारा गठित एक वैधानिक प्राधिकरण] जिसका स्थाई कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, को याचिकाकर्ता की मद्रास विधानसभा की सदस्यता हेतु अभिकथित आयोग्यता की जांच करने से रोक लगाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मद्रास उच्च न्यायालय में प्रतिषेध रिट हेतु आवेदन किया था। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा एक रिट जारी की गई। पीड़ित याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

अपील की अनुमति देते हुए इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि मद्रास उच्च न्यायालय को याचिका पर विचार करने का क्षेत्रीय अधिकार नहीं था।

न्यायालय की ओर से बोलते हुए, पतंजलि शास्त्री, सी.जे. ने निम्नलिखित टिप्पणी की -

"संविधान के निर्माताओं ने, नई व्यवस्था में लोगों के लिए कुछ बुनियादी सुरक्षा उपाय प्रदान करने का निर्णय लिया, जिसे वे मौलिक अधिकार कहते थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसे अधिकारों के प्रवर्तन के लिए व एक त्वरित और सस्ता उपाय प्रदान करना आवश्यक समझा। यह पाया गया कि इंग्लैण्ड में न्यायालयों ने जो विशेषाधिकार रिट विकसित की थी और जब भी इस उद्देश्य से तत्काल और निर्णायक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती थी उन्होंने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए तथा "किसी अन्य उद्देश्य के लिए राज्यों

के क्षेत्र में उच्च न्यायालयों को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की नई व व्यापक शक्तियां प्रदान कीं तथा इसमें जाहिरा तौर पर इस देश के सभी उच्च न्यायालयों को कुछ हद तक इंग्लैण्ड में राजा की पीठ के न्यायालय के समान स्थिति में रखा गया है। परन्तु इस प्रकार प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग पर दोहरी सीमायें लगाई गई थीं। प्रथमतः, शक्ति का प्रयोग "उन सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है जिसके संबंध में वह अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है", अर्थात् न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन क्षेत्रों के परे लागू नहीं हो सकती हैं। द्वितीयतः, जिस व्यक्ति या प्राधिकारी पर उच्च न्यायालय को ऐसी रिट जारी करने का अधिकार है, वह "उन क्षेत्रों के भीतर" होना चाहिए, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि जो उन क्षेत्रों के भीतर निवास या स्थान द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी हों।

वाद हेतुक के संबंध में न्यायालय ने कहा: "यह नियम कि वाद कारण मुकदमे में क्षेत्राधिकार को आकर्षित करता है, वैधानिक अधिनियमन पर आधारित है और अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाली ऐसी रिट पर लागू नहीं हो सकता है जो वाद हेतुक का कोई संदर्भ नहीं देता है या जहां यह उत्पन्न तो होता है परन्तु "इन क्षेत्रों के भीतर" ऐसे व्यक्ति या



प्राधिकारी की उपस्थिति पर जोर देता है जिसके संबंध में उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है"।

11. दोबारा, खजूर सिंह बनाम भारत संघ, (1961) 2 एस.सी.आर. 528, ए.आई.आर. (1961) एस.सी. 532 में यह प्रश्न उठा। सात न्यायाधीशों की एक पीठ को साका वेंकट राव की शुद्धता या अन्यथा पर विचार करने के लिए बुलाया गया। बहुमत (सिन्हा, सी.जे., कपूर, गजेन्द्र गड़कर, वांचु, दासगुप्ता और शाह, जे.जे.) ने इस न्यायालय द्वारा पूर्व में साका वेंकट राव में प्रतिपादित दृष्टिकोण को पुनः पुष्ट और अनुमोदित करते हुए अभिनिर्धारित किया कि जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता की याचिका क्षेत्रीय अधिकारिता न होने के आधार पर स्वीकार नहीं करने में सही था ।

बहुमत की ओर से बोलते हुए, सिन्हा, सी.जे. ने कहा:-

"इसलिये हमें ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निर्धारित करने के लिए अनुच्छेद 226 में पारित आदेश से प्रभावित व्यक्ति के निवास या स्थान को पढ़ना स्वीकार्य नहीं है । क्षेत्राधिकार आदेश पारित करने वाले व्यक्ति या प्राधिकारी की अधिकारिता पर निर्भर करता है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रश्न हेतु आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्ति के निवास या स्थान की कोई प्रासंगिकता नहीं है।"

12. उपरोक्त निर्णयों का प्रभाव यह था कि पंजाब उच्च न्यायालय (दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना से पहले) के अलावा किसी भी उच्च न्यायालय को भारत संघ को कोई निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार नहीं था क्योंकि भारत सरकार का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित था। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए वाद हेतुक पूर्णतः अप्रासंगिक और विदेशी अवधारणा थी। इस तरह की अवधारणा को स्वीकार करने के प्रयास को इस न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ऐसी परिस्थितियों में अनुच्छेद 226 को संविधान (15वां संशोधन) अधिनियम, 1963 द्वारा संशोधित किया गया और खण्ड 1 के बाद नया खण्ड (1 क) जोड़ा गया जो इस प्रकार है:

"(1-ए) किसी भी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने के लिए खण्ड-1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उन क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्राधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिनकी क्षेत्राधिकारिता में शक्ति के प्रयोग के लिए वाद हेतुक, पूर्णतः या अंशतः उत्पन्न हुआ हो, भले ही ऐसी सरकार या प्राधिकरण का कार्यालय या ऐसे व्यक्ति का निवास उन क्षेत्रों के भीतर नहीं है।"

13. यह कहा जा सकता है कि संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 के द्वारा खण्ड (1-क) को खण्ड (2) के रूप में पुनः

क्रमांकित किया गया था। संशोधन का अन्तर्निहित उद्देश्य निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया गया था:

"संविधान के मौजूदा अनुच्छेद 226 के तहत एकमात्र उच्च न्यायालय जिसके पास केन्द्र सरकार के संबंध में क्षेत्राधिकार है, वह पंजाब उच्च न्यायालय है। इससे दूरदराज स्थान के वादियों को काफी परेशानी होती है। इसलिये, अनुच्छेद 226 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। ताकि जब किसी सरकार, प्राधिकरण या व्यक्ति द्वारा की गई कार्यवाही के खिलाफ कोई अनुतोष मांगा जाये तो उस उच्च न्यायालय, जिसकी क्षेत्राधिकारिता में वाद हेतुक उत्पन्न हुआ हो, को उचित आदेश, निर्देश या रिट जारी करने की अधिकारिता हो।

14. संशोधन का प्रभाव यह हुआ कि वाद हेतुक उत्पन्न होने को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए एक अतिरिक्त आधार बना दिया गया ।

संयुक्त समिति ने यह देखा:

"यह खण्ड उच्च न्यायालय को, जिसके अधिकार क्षेत्र में वाद हेतुक उत्पन्न होता है, किसी भी सरकार, प्राधिकरण या व्यक्ति को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने में सक्षम करेगा, भले ही ऐसी सरकार या प्राधिकरण का कार्यालय या ऐसे व्यक्ति का निवास उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर हो । समिति का मानना है कि उच्च

न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र में अंशतः वाद हेतुक उत्पन्न होता है, उसमें भी ऐसा क्षेत्राधिकार निहित होना चाहिए।"

15. संवैधानिक प्रावधानों का विधायी इतिहास, इसीलिये यह स्पष्ट करता है कि 1963 के बाद वाद हेतुक सार्थक व प्रासंगिक है और एक रिट याचिका एक ऐसे उच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती है जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता में वाद हेतुक, पूर्णतः या अंशतः उत्पन्न हुआ हो ।

16. हमारे विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी का दावा अच्छी तरह स्थापित है कि अंशतः वाद हेतुक पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ कहा जा सके । जबकि अपीलार्थी कंपनी यह निवेदन करती है कि अंशतः वाद हेतुक न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ था, उत्तरदाता का तर्क विपरीत है।

17. यह कहा जा सकता है कि अभिव्यक्ति "वाद हेतुक" को न तो संविधान में और न ही सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में परिभाषित किया गया है। हालांकि इसे वाद में सफल होने के पूर्व वादी द्वारा साबित किये जाने योग्य आवश्यक तथ्यों के समूह के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऐसे तथ्यों को साबित करने में असफलता से प्रतिवादी को अपने पक्ष में निर्णय लेने का अधिकार मिलता है। इस प्रकार वाद हेतुक वाद दायर करने का अवसर देता है और वाद की नींव बनाता है।

18. अभिव्यक्ति "वाद हेतुक"की क्लासिक परिभाषा "कुक बनाम गिल, (1873) 8 सी.पी. 107,42 एल जे पी सी 98, में पायी जाती है, जिसमें लार्ड ब्रेट ने कहा:

"वाद हेतुक'का अर्थ हर उस तथ्य से है जिसे अदालत के फैसले के लिए अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए वादी को साबित करना आवश्यक है।"

19. प्रत्येक कार्य के लिए एक वाद हेतुक होना आवश्यक है। यदि वाद हेतुक नहीं है, तो वाद या याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए

20. अपीलार्थी कंपनी की और से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सोली जे. सोराबजी ने ए.बी.सी. लेमिनाट प्राइवेट लिमिटेड व अन्य बनाम ए.पी. एजेंसीज, सलेम, (1989) 2 एस.सी.सी. 163, ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 1239, जे.टी. (1989) 2 एस.सी. 38 पर निर्भरता रखते हुए तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में कानून और क्षेत्राधिकार की त्रुटि की है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता में वाद हेतुक का कोई भाग उत्पन्न नहीं हुआ है। उन्होंने विशेष रूप से निम्नलिखित टिप्पणी का उल्लेख किया:

"वाद हेतुक'का अर्थ हर उस तथ्य से है जिसे अदालत के फैसले के लिए अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए वादी को साबित करना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, यह तथ्यों का एक समूह है जिसे कानून के साथ लिया जाकर वादी को प्रतिवादी के खिलाफ अनुतोष का अधिकार मिलता

है। इसमें प्रतिवादी द्वारा किया गया कोई कार्य शामिल होना चाहिए क्योंकि ऐसे कार्य के अभाव में कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता है। यह दावा किये गये अधिकारों के वास्तविक उल्लंघन तक सीमित नहीं है परन्तु इसमें समस्त भौतिक तथ्य शामिल हैं जिस पर यह आधारित है। इसमें ऐसे तथ्यों को साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य शामिल नहीं है, बल्कि वादी को डिक्री प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के लिए साबित करने के लिए आवश्यक हर तथ्य शामिल है। वह सब कुछ जो अगर साबित नहीं हुआ तो प्रतिवादी को तुरन्त निर्णय का अधिकार देता है, वाद हेतुक का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन इसका प्रतिवादी द्वारा उठाये गये बचाव से कोई संबंध नहीं है और न ही यह वादी द्वारा मांगे गये अनुतोष की प्रकृति पर निर्भर करता है।

21. हमारी राय में, उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई प्रारम्भिक आपत्तियों को बरकरार रखने और क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की कमी के आधार पर याचिका को खारिज करने में उच्च न्यायालय पूर्णतः न्यायसंगत था।

22. उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ताओं ने इस न्यायालय के कई निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि कोई विशेष तथ्य वाद हेतुक का गठन करता है या नहीं यह प्रत्येक मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर निर्णित किया जाना चाहिए। हमारे निर्णय में, परीक्षण यह है कि क्या कोई विशेष तथ्य सारभूत है और पक्षकारों के बीच विवाद के लिए तात्विक

है या अभिन्न हिस्सा है। यदि यह है, तो यह वाद हेतुक का गठन करता है। यह भी सुस्थापित है कि प्रश्न का निर्धारण करते समय मामले के सार पर विचार किया जाना चाहिए, न कि उसके स्वरूप पर ।

23. भारत संघ एवं अन्य बनाम ऑसवाल वुलन मिल्स लिमिटेड और अन्य, (1984) 3 एस.सी.आर. 342-, ए.आई.आर. (1984) एस.सी. 1264, कंपनी का पंजीकृत कार्यालय लुधियाना में स्थित था लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका इस आधार पर दायर की गई कि वहां कंपनी का शाखा कार्यालय था । इस आदेश को भारत संघ द्वारा चुनौती दी गई और इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि कंपनी का पंजीकृत कार्यालय लुधियाना में था और मुख्य उत्तरदाता जिसके विरुद्ध प्रमुख अनुतोष मांगा गया था, नई दिल्ली में था, किसी को यह उम्मीद होगी कि रिट याचिकाकर्ता पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटायेगा । रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा चुना गया मंच कानून के अनुरूप नहीं कहा जा सकता था और कलकत्ता उच्च न्यायालय रिट याचिका पर विचार नहीं कर सकता था ।

24. राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम मैसर्स स्वाइका प्रोपर्टीज, (1985) 3 एस.सी.सी. 217, ए.आई.आर. (1985) एस.सी. 1289 में कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय कलकत्ता में था, ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में विशेष नगर नियोजन अधिकारी, जयपुर द्वारा जयपुर स्थित अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण हेतु जारी नोटिस को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की । यह देखते हुए कि वाद हेतुक पूर्णतः राजस्थान उच्च न्यायालय की

जयपुर पीठ की क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारिता के भीतर उत्पन्न हुआ है, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय को रिट याचिका पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं था ।

इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता पर राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959 के तहत जारीशुदा नोटिस की कलकत्ता में तामील वाद हेतुक नहीं बन सकती जब तक कि ऐसा नोटिस 'वाद हेतुक का अभिन्न अंग'न हो ।

25. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओ.एन.जी.सी.) बनाम उत्पल कुमार बासु व अन्य, (1994) 4 एस.सी.सी. 711, जे.टी. (1994) 6 एस.सी. 1, में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जबकि ओ.एन.जी.सी. का मुख्य कार्यालय कलकत्ता में स्थित नहीं था, न ही पश्चिम बंगाल में संविदा के निष्पादन में कार्य किया जाना था, वहां कलकत्ता उच्च न्यायालय को इस आधार पर क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं दी जा सकती कि विज्ञापन कलकत्ता से प्रकाशित एक दैनिक (टाइम्स ऑफ इण्डिया) अखबार में छपा था, या याचिकाकर्ता ने कलकत्ता से अपनी बोली लगाई थी या कलकत्ता से पश्चातवर्ती अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये थे या ओ.एन.जी.सी. द्वारा लिये गये अंतिम निर्णय के बारे में कलकत्ता में फैंक्स संदेश प्राप्त किया गया था, इनमें से कोई भी वाद हेतुक के अभिन्न अंग का गठन नहीं करता है, जिससे कि कलकत्ता उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 (2) के तहत क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारिता प्राप्त हाेती हो ।



26. सी.बी.आई., भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, मुम्बई बनाम नारायण दिवाकर (1994) 4 एस.सी.सी. 656, ए.आई.आर. (1999) एस.सी. 2362, जे.टी. (1999) 3 एस.सी. 635 के मामले में, ए अरुणाचल प्रदेश में पदस्थापित था। राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से एक वायरलैस संदेश द्वारा उसे बुम्बई में सी.बी.आई. इंस्पेक्टर के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया। ए ने सी.बी.आई. द्वारा उसके विरुद्ध दायर एफ.आई.आर. को रद्द कराने के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय का रुख किया। विभाग द्वारा यह आपत्ति उठाई गई कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय को रिट याचिका पर विचार करने का कोई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं था, परन्तु इसे खारिज कर दिया गया। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने आपत्ति की पुष्टि की कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय याचिका पर विचार नहीं कर सकता था।

27. यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, (2002) 1 एस.सी.सी. 567, ए.आई.आर. (2002) एस.सी. 126, जे.टी. 2001 (9) एस.सी. 162 में, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारिता का एक प्रश्न विचार के लिए आया। ए ने एग्जिम नीति के तहत पासपोर्ट योजना के लाभ का दावा करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर की। पासपोर्ट चेन्नई कार्यालय द्वारा जारी किया गया था। पासपोर्ट की प्रविष्टियां चेन्नई के प्राधिकारियों द्वारा की गई थीं। उत्तरदाताओं में से कोई भी गुजरात राज्य में कार्यरत नहीं था इसलिये यह तर्क दिया गया कि गुजरात उच्च न्यायालय को याचिका पर विचार करने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं था। हालांकि इस तर्क को अस्वीकार कर

दिया गया और याचिका स्वीकार कर ली गई। उत्तरदाताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन निम्न आधारों पर चाहा गया, कि (1) ए अहमदाबाद में व्यवसाय कर रहा था, (2) आदेश अहमदाबाद से दिये गये और निष्पादित किये गये, (3) दस्तावेज भेजे गये और भुगतान अहमदाबाद में किया गया था, (4) अहमदाबाद से किये गये निर्यात के लिए शुल्क के क्रेडिट का दावा किया गया, (5) लाभ देने से इन्कार का याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव अहमदाबाद में पड़ा, (6) ए ने अहमदाबाद में बैंक गारंटी प्रस्तुत की और बाण्ड का निष्पादन किया, आदि।

अपील को स्वीकार करते हुए और उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ए द्वारा अभिकथित किये गये कोई भी तथ्य वाद हेतुक का गठन नहीं करते हैं।

"ऐसे तथ्य जिनका विवाद से कोई संबंध नहीं है, वाद हेतुक उत्पन्न नहीं करते हैं और न ही संबंधित न्यायालय को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारिता देते हैं"।

28. कुसुम इंगोत्स एण्ड एलाँइज लिमिटेड बनाम भारत संघ व अन्य (2004) 6 एस.सी.सी. 254, जे.टी. 2004 (सप्लीमेंट 1) 475 के मामले में, अपीलकर्ता भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी थी, जिसका प्रधान कार्यालय मुम्बई में था, इसने भारतीय स्टेट बैंक की भोपाल शाखा से ऋण प्राप्त किया। बैंक ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ऋण अदायगी हेतु याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया।

अपीलकर्ता कंपनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जिसे क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारिता के अभाव में खारिज कर दिया गया। कंपनी ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि चूंकि संसदीय कानून की संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया था, इसलिये दिल्ली उच्च न्यायालय के पास रिट याचिका पर विचार करने का अपेक्षित क्षेत्राधिकार था।

तर्क को अस्वीकार तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को पुष्ट करते हुए इस न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी कानून का पारित होना स्वतः किसी भी अदालत में रिट याचिका दायर करने का अधिकार नहीं देता है जब तक कि कोई वाद हेतुक उत्पन्न न हो। न्यायालय ने कहा कि, "उक्त प्रश्न का निर्धारण करते समय एक विधान और कार्यकारी कार्यवाही के बीच के अन्तर को ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

ओ.एन.जी.सी. का उल्लेख करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि सभी आवश्यक तथ्यों को वाद हेतुक का 'अभिन्न अंग'होना चाहिए। वह तथ्य जो न तो भौतिक है, न ही आवश्यक है और न ही वाद हेतुक का अभिन्न अंग है, वह संविधान के अनुच्छेद 226 (2) के अर्थ में वाद हेतुक के भाग का गठन नहीं करते हैं।

29. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड एवं अन्य बनाम हरिबक्श स्वालराम व अन्य, (2004) 9 एस.सी.सी. 786, जे.टी. (2004) 4 एस.सी. 508 के मामले में, पूर्व मामलों का उल्लेख करते हुए इस न्यायालय ने कहा कि -

"मात्र यह तथ्य कि रिट याचिकाकर्ता कलकत्ता में व्यवसाय करता है या पत्राचार का जवाब कलकत्ता में प्राप्त किया गया था, वाद हेतुक का अभिन्न अंग नहीं है और इसलिये, कलकत्ता उच्च न्यायालय को रिट याचिका पर विचार करने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं है और डिविजन बेंच द्वारा अपनाया गया विपरीत दृष्टिकोण कायम नहीं रखा जा सकता है।"

उपरोक्त चर्चा से और इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों के निर्धारित अनुपात को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि प्रार्थी याचिकाकर्ता द्वारा अभिकथित तथ्य वाद हेतुक का गठन करते हैं या नहीं यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को यह देखना होगा कि क्या ऐसे तथ्य वाद हेतुक का गठन करने के लिए भौतिक, आवश्यक या अभिन्न अंग हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वाद हेतुक का एक छोटा सा अंश भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होता है तो न्यायालय को उस वाद या याचिका पर विचार करने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार होगा।

30.वर्तमान मामले में हमारे निर्णयों के अपीलार्थी कंपनी द्वारा जो तथ्य अभिकथित किये गये हैं उन्हें संविधान के अनुच्छेद 226 (2) के अर्थ के अंतर्गत वाद हेतुक का गठन करने के लिए आवश्यक, अभिन्न या भौतिक तथ्य नहीं माना जा सकता है, इसलिये हमारी राय में उच्च न्यायालय याचिका को खारिज करने में गलत नहीं था।

31. उपरोक्त कारणों से, हमें क्षेत्रीय अधिकारिता की कमी के आधार पर याचिका को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अयोग्यता नहीं दिखती है। इसलिये, अपील खारिज किये जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकार अपना-अपना खर्च वहन करेंगे।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी गीता पाठक (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित कि या गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कि या जासकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।

\*\*\*